न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण

रमेश पुत्र सामलिया कुशवाह

निवासी–ग्राम छावनी

तहसील व जिला–शिवपुरी

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन

तहसीलदार तहसील शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/2015–16/अ–12 में पा
आदेश दिनांक 04–02–2016 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राज
संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि, तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाहीं एवं विवादित अ
अवैध एवं मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, आवेदक ग्राम–छावनी तहसील–शिवपुरी की भूमि सर्वे क्रमांक 108
क्षेत्रफल 0.052 हैक्टेयर का अभिलिखित भूमि स्वामी है आवेदक ने तहसीलदार शि
के समक्ष दिसम्बर 2015 में अपनी भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन दिया था व
आवेदक की भूमि के आसपास की भूमि के स्वामी सीमा संबंधी विवाद कर रहे थे.

3. यह कि, आवेदक द्वारा दिये गये सीमांकन आवेदन पर कोई कार्यवाहीं न किये
पर आवेदक ने दिनांक 18–01–2016 को अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के
जनसुनवायी में आवेदन दिया कि उसकी भूमि का सीमांकन पुलिस बल के संर
तत्काल कराया जायें.

4. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन देने के पश्चात तहसील
आवेदक को कोई सूचना दिये बिना सीमांकन दल का गठन कर दिया सीमांकन
आवेदक को कोई सूचना नहीं दी एवं दिनांक 02–02–2016 को स्थल पर आवे
बुलाया एवं पूर्व से तैयार पंचनामे पर हस्ताक्षर करने के लिये कहां परंतु आ
हस्ताक्षर नहीं किये क्योंकि सीमांकन दल के सदस्य जिस स्थान पर चीरा ग
लिये कह रहे थे उससे आवेदक की भूमि का क्षेत्रफल उसके स्वत्व के अनुसार
जाता है.

5. यह कि, आवेदक ने सीमांकन के पश्चात तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हो
तथ्यों से अवगत कराया तब उन्होंने आवेदक को बताया कि सीमांकन प्रतिवेदन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 1210–तीन/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–01–2017	आवेदक अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी एवं अनावेदक शासकीय पैनल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । 2/· उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन दल गठित किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा सीमांकन हेतु आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया। उक्त सूचना पत्र पर लेने से इंकार अंकित है परन्तु लेने से इंकार संबंधी टीप की पुष्टि स्वरूप दो गवाहों के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अन्य सरहदी कास्ताकारों को सूचना दिया जाना भी अभिलेख से परिलक्षित नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन दल द्वारा सीमांकन किया गया है जबकि विधिवत सूचना के पश्चात ही उपस्थिति में सीमांकन किया जाना चाहिए था। तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है तहसीलदार द्वारा मात्र एक पेशी जो कि अंतिम आदेश के रूप में दिनांक 04–2–2016 के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की गई है। स्पष्ट है सीमांकन कार्यवाही में मात्र एक ही पेशी में सीमांकन की कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया गया है। आवेदक को किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया है। तहसीलदार द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही को विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार शिवपुरी का आदेश दिनांक 04–2–2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शिवपुरी को इस निर्देश के साथ	

प्रत्यावर्तित किया जाता है कि विधिवत आवेदक सहित सभी सरहदी कास्तकारों को सूचना देने के उपरांत सीमांकन कार्यवाही की जाये। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य